

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## —:: कार्यालय-आदेश ::—

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतमान) नियम-2008 के नियम 19 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतमान) नियम-2017(NO F.15(1) FD/RULES/2017 JAIPUR-DATED 30.10.2017 & 09.12.2017) के अनुसार निम्नांकित व्याख्याता स्कूल शिक्षा का राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 7 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/लेखाधिकारी की अनुशंसा अनुसार उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 10 में अंकित तिथि से आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक भय पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि	जन्मतिथि	व्याख्याता विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी सेवा अवधि	स्वीकृत वेतन बैण्ड/पे मैट्रिक्स	स्वीकृत ग्रेड वेतन/मैट्रिक्स लेवल	स्वीकृत तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.	छैलसिंह चुण्डावत - चित्तान्वा - माण्डल - भीलवाड़ा	07.11.1960	भूगोल	03.01.89	डीपीसी	30 वर्ष	पे-मैट्रिक्स	PML-13	03.01.2019
02.	हेमराज जाट - नैनवां - बूंदी	08.07.1965	भूगोल	09.03.90	डीपीसी	30 वर्ष	पे-मैट्रिक्स	PML-13	09.03.2020
03.	रामेश्वर दयाल - रामपुर - बानसूर - अलवर	02.05.1965	भूगोल	08.12.88	डीपीसी	30 वर्ष	पे-मैट्रिक्स	PML-13	08.12.2018
04.	सुमित्रा पवार - बालिका राजमहल - जोधपुर	04.08.1967	प्रशिक्षक प्रथम श्रेणी	01.07.99	डीपीसी	20 वर्ष	पे-मैट्रिक्स	PML-13	01.07.2019

उक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावे। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुरतिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जाये।

  
(सौरभ स्वामी)


आ.सं.सं.  
निदेश  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक - 21-08-2020

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सो-5/एसीपी/2018-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक / मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा .....
2. संबंधित जिला अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
3. संबंधित संस्था प्रधान राउमावि./राबाउमावि.....
4. संबंधित कार्मिक
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय-हाजा को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फंजिका

  
-संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 (NO F.15(1)FD/RULES/2017 JAIPUR - DATED 30.10.2017&09.12.2017) के अनुसार व्याख्याता स्कूल शिक्षा (राजनीति विज्ञान) को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 6 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/लेखाधिकारी की अनुशंघा अनुसार उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से आश्वसित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्रस	नाम व्याख्याता नय पदस्थापन (राउमावि/राबाउमावि) सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता में चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी I, II, III	वेतन ग्रेड/पे मैट्रिक्स	स्वीकृत ग्रेड वेतन/पे मैट्रिक्स लेवल नं.	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	चांदमल शर्मा-वालिया, डीडवाना, नगौर	01.09.68	20.09.88	डीपीसी 15-16	III 30वर्ष	पे-मेट्रिक्स	PML-13	20.09.18
2	राजेन्द्र प्रसाद जांगीड-किशनगढ़, अजमेर	01.03.61	01.10.88	डीपीसी 15-16	III 30वर्ष	पे-मेट्रिक्स	PML-13	01.10.18
3	नारायणलाल-झाला की चौकी रायपुर, पाली	01.07.65	01.07.89	डीपीसी 16-17	III 30वर्ष	पे-मेट्रिक्स	PML-13	01.07.19
4	लक्ष्मी लाल दामा-पई गिर्वा, उदयपुर	04.10.68	28.11.88	डीपीसी 13-14	III 30वर्ष	पे-मेट्रिक्स	PML-13	28.11.18
5	राजेन्द्र कुमार वर्मा-खानपुर, झालावाड	07.07.70	13.04.90	डीपीसी 16-17	III 30वर्ष	पे-मेट्रिक्स	PML-13	13.04.20

उक्त व्याख्याताओं का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.  
निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/एसीपी/2019 / 342

दिनांक:- 21 / 08 / 2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है --

- 01- संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
- 02- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) मा0शि0/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
- 03- सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय-हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
- 04- संबंधित संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि.....।
- 05- संबंधित कार्मिक.....।
- 06- निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर